संख्या- 314 /2025/ 2828 /चार-2025-1835998

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2025**

विषय:- दिनांक 08 अगस्त, 2025 को बाजनगर काकोरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी वर्षगांठ पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हुये वास्तविक व्यय की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1837/सं0नि0-15(40)/2025-26, दिनांक 18 सितम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या 2145/चार-2025-1835998 दिनांक 22 जुलाई, 2025 द्वारा बाजनगर काकोरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु प्रदान की गयी प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में अवगत कराया गया है कि उच्च निर्देशों के क्रम में दिनांक 08 अगस्त, 2025 को बाजनगर काकोरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी वर्षगांठ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवथानुसार कार्यक्रम से पूर्व प्रतिभाग करने वाले कालाकरों के मानदेय धनराशि का 50 प्रतिशत के भुगतान की कार्यवाही कर दी गयी है। शेष 50 प्रतिशत मानदेय का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय का विवरण निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	कलाकार/फर्म का नाम	बिल संख्या/ दिनांक	अवशेष मानदेय राशि	किराया	कुल धनराशि
1	सुश्री रानी खानम कोरियोग्राफर	08.08.2025	50,000.00	19,364.00	69,364.00
2	श्री सुरेश शर्मा/ नाटय निर्देशन	08.08.2025	50,000.00	-	50,000.00
3	श्री माधव प्रसाद/ संगीत निर्देशन	08.08.2025	20,000.00	-	20,000.00
4	सुश्री सारा सैयद, असिस्टेन्ट कोरियोग्राफर	08.08.2025	7,500.00	-	7,500.00
5	श्री दीपक वर्मा असिस्टेन्ट कोरियोग्राफर	08.08.2025	7,500.00	-	7,500.00
6	श्री विशाल असिस्टेन्ट कोरियोग्राफर	08.08.2025	7,500.00	-	7,500.00
7	श्री श्रीजीत राज असिस्टेन्ट कोरियोग्राफर	08.08.2025	7,500.00	-	7,500.00
8	श्री आमद, रिकार्डेड म्यूजिक	08.08.2025	50,000.00	-	50,000.00
9	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, लखनऊ	08.08.2025	40,000.00	-	40,000.00
10	श्री लखन लाल यादव, महोबा	08.08.2025	40,000.00	18,400.00	58,400.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	श्री विजय यादव, अयोध्या	08.08.2025	40,000.00	10,560.00	50,560.00
12	श्री रवि प्रकाश परिहार झांसी	08.08.2025	40,000.00	29,700.00	69,700.00
13	सुश्री दीपशिखा, प्रयागराज	08.08.2025	40,000.00	16,500.00	56,500.00
14	सुश्री वंदना कुशवाहा, झांसी	08.08.2025	40,000.00	29,700.00	69,700.00
15	श्री चन्द्रभाष सिंह, लखनऊ	08.08.2025	40,000.00	-	40,000.00
16	ओ0डी0ओ0पी0	87/4349/06.08.2025			3,841.00
17	मे0 होटल गोमती लखनऊ	481-25/11.82025			4,04,255.00
18	मे0 ड्रीम 360 लखनऊ	180/18.08.2025			14,160.00
19	मे0 रिची रिच इवेन्ट एण्ड प्रमोशन लखनऊ	24-25/0126/26.08.2025			1,77,257.00
		24-25/0127/26.08.2025			75,650.00
19	मानवी ट्रेवलर्स, लखऊ	13/23.08.2025			16,800.00
20	यू0पी0 अपटूर्वस लखनऊ	588/2025/28.08.2025			1,95,141.00
21	उ0प्र0 राजीय अभिलेखागार लखनऊ की संस्तुति	645/27.08.2025			7,57,355.00
22	मे0 बी0सी0एस0 कन्सल्टिंग प्रा0लि0, लखनऊ	95/31.08.2025			1,86,810.00
कुल योग (रूपये चौबीस लाख पैंतीस हजार चार सौ तिरान्वे मात्र) -					**24,35,493.00**

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार शासन के पत्र संख्या 2145/चार-2025-1835998 दिनांक 22 जुलाई, 2025 द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2025 को बाजनगर काकोरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी वर्षगांठ पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु प्रदान की गयी प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में कार्यक्रमों पर हुये वास्तविक व्यय **रू0 24,35,493/- (रूपये चौबीस लाख पैंतीस हजार चार सौ तिरानवे मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42 अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।